राजस्थान
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(76)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/पीएचसी ऑनलाईन/11/ 3722 दिनांक 26/9/11

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

विषय : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011–12 के लिये की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 49 के अनुसार **"राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 'प्रेगनेंसी एण्ड चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम प्लस' योजना लागू करने हेतु समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को, इंटरनेट कनेक्शन सुविधा के साथ कंप्यूटर, उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिस पर 8 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत आयेगी।"**

घोषणा की क्रियान्विति के तहत मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक F14()/डी.डी.ओ./पक/2010/284, दिनांक 30.06.2011 के आदेशानुसार पी.सी.टी.एस. (प्रेगनेंसी एण्ड चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम) की डेटा फिडिंग हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संविदा के आधार पर कार्यरत लेखाकार व आशा सुपरवाईजर को चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया जाता है कि लेखाकार/आशा सुपरवाईजर द्वारा पी.सी.टी.एस. के ऑनलाईन रिपोर्टिंग कार्य के साथ–साथ उनसे संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना की ऑनलाईन रिपोर्टिंग भी की जायेगी। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना की ऑनलाईन रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण पी.सी.टी.एस के प्रशिक्षण के साथ ही दिया जायेगा।

अतः उक्त सन्दर्भ में क्रियान्विति शीघ्रातीशीघ्र की जाकर रिपोर्ट मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

मिशन निदेशक 21/9/11
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।

2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
10. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय, राजस्थान।
11. निदेशक, आई.ई.सी./प0क0/जन स्वास्थ्य/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
13. परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी/एनआरएचएम/एमएमजेआरके।
14. प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, जयपुर।
15. कार्यकारी निदेशक, प्रथम, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, जयपुर।
16. कार्यकारी निदेशक, द्वितीय, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, जयपुर।
17. वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
18. डेमोग्राफर, आरसीएच, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
19. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
20. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम, जयपुर।
21. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
22. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु (Login ID) बनवाने का श्रम करावें।
23. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान।
24. समस्त खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान को भेजकर लेख है कि पी.सी.टी.एस. के प्रशिक्षण के साथ–साथ एक सत्र एमएमजेआरके के प्रशिक्षण हेतु भी आयोजित करने की कार्यवाही करावें।
25. समस्त जिला आई.ईसी. समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
26. समस्त जिला आशा समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान को भेजकर लेख है कि ऑनलाइन रिर्पोटिग हेतु चिन्हित आशा सुपरवाईजरों से सम्पर्क कर इस संबंध में उन्हें आवश्यक निर्देश प्रदान करे।
27. सलाहकार एमएमजेआरके, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
28. समस्त जिला लेखा प्रबंधक/जिला मॉनिटरिंग एवं मुल्यांकन अधिकरी, एनआरएचएम राजस्थान को भेजकर लेख है कि ऑनलाइन रिर्पोटिग हेतु चिन्हित लेखाकारों से सम्पर्क कर आवश्यक निर्देश प्रदान करे एवं Login ID प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, शासन सचिवालय, जयपुर से सम्पर्क करें।
29. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई–मेल करावें एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करावें।
30. सलाहकार एमएमजेआरके (आईटी) को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करावें।
31. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना